

## लीज अवधि प्रमाण-प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्व विभाग, औरैया द्वारा वाढग्रस्त ग्राम-अस्ता मुस्तकिल को ऊँचे स्थान पर बसाये जाने हेतु गाठा सं-42 व 37/1, तहसील-औरैया, जिला-औरैया (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित भूमि के विनियम द्वारा स्थानान्तरण से वन प्रभाग, औरैया की 3.943 हेक्टेएक्ट आरक्षित वन भूमि होगी, जिसे 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर लेने की आवश्यकता है। आरक्षित वन भूमि होती है तो प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित अतः यदि आवश्यकता होती है तो प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रिमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रिमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की वचनबद्धता दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रिमियम/लीज रेंट निर्धारित किया जायेगा उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

राजस्व विभाग, औरैया

तहसीलदार  
खदार औरैया।

प्रभागीय वनाधिकारी  
औरैया वन प्रभाग-औरैया